न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/428

1. माधो आत्मज श्री धन्ना जाति माली निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. जगन्नाथ आत्मज श्री माधो जाति माली निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/2. भीवा आत्मज श्री माधो जाति माली निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. पुष्प लाल आत्मज श्री धन्ना जाति माली निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. शोजी आत्मज श्री माधो जाति माली निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. रामप्यारी पत्नी श्री बिशना जाति माली निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. कजोड आत्मज उद्दा जाति माली निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. रामकरण आत्मज श्री उद्दा जाति माली निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. रामनारायण आत्मज श्री उद्दा जाति माली निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. सुखदेव आत्मज श्री उद्दा जाति माली निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. कजोडी बाई पत्नी श्री उद्दा जाति माली निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. गौरा बाई पुत्री श्री उद्दा जाति माली निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. मनभर बाई पुत्री श्री उद्दा जाति माली निवासी गोठडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश नामधराणी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 28.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं वादी रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 183 के अन्तर्गत ग्राम ग्राम रोणिजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी कुल 12 किता की कुल रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय दिनांक 22.12.2007 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2007 से व्यथित होकर प्रार्थी प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 एवं धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद के एकतरफा डिक्री किये जाने की कोई सूचना प्रतिवादीगण को नहीं दी है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को विधिक तामील नहीं करवाई है । वादीगण ने तामील कुनिन्दा से मिलकर प्रतिवादीगण के स्थान पर किसी अन्य व्यक्तियों के अंगूठा निशानी लगाकर प्रतिवादीगण की तामील बताई है और इसी कारण तामील कुनिन्दा ने प्रार्थीगण में से उन व्यक्तियों के भी अंगूठा निशानी लगवाए हैं जो कि हस्ताक्षर करना जानते हैं । प्रार्थीगण को उक्त निर्णय की जानकारी थाना दबलाना द्वारा गिरफ्तार कर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश करने पर हुई । न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्ष के खिलाफ कोई निर्णय उसे सुने बिना नहीं दिया जाना चाहिए । यदि उक्त प्रकरण में एकतरफा डिक्री निरस्त नहीं की गई तो प्रार्थीगण अपने अधिकारों को न्यायलाय के समक्ष नहीं रख पाएगें । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित प्रकरण में एकतरफा डिक्री दिनांक 22.12.2007 निरस्त फरमाई जावे एवं उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर प्रकरण को निर्णित करने का आदेश पारित किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 09.05.2018 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं होने एवं मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की बहस दिनांक 04.10.2017 को सुनी गई किन्तु प्रार्थना पत्र पर लम्बे समय तक निर्णय पारित नहीं किया गया । पत्रावली को पुनः बहस हेतु नियत कर दिया गया था तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते बहस में चल रही थी । अपीलान्ट को बिना कोई सूचना दिये लोक अदालत में रखा गया और उसी दिन अपीलान्ट को सुने बिना ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रार्थीगण अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर दिनरांक 23.08.2006 को एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश पारित करते हुए दिनांक 28.12.2007 को वादी का वाद डिक्री कर दिया । उक्त वाद के एकतरफा डिक्री किये जाने की कोई सूचना अपीलान्ट के पास नहीं थी । तत्पश्चात् अपीलान्ट ने एकतरफा डिक्री को अपास्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसे अपीलान्ट को सुने बिना ही लोक अदालत में खारिज कर दिया गया । उक्त अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04.07.2018 को कैम्पों में निर्णित पत्रावलियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने पर अपीलान्ट के वकील साहब को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है। अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में अधिकार घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं कब्जा भूमि बाबत् पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्ट को जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश पारित किये दिनिांक 23.08.2006 को न्यायालय द्वारा यह मानते हुए कि प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये हैं इसलिए प्रतिवादीगण अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश पारित कर दिये तथा तत्पश्चात् दिनांक 22.12.2007 को प्रतिवादीगण अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा रूप से डिक्री पारित कर दी । उक्त वाद के एकतरफा डिक्री करने की कोई सूचना प्रतिवादीगण अपीलान्ट को नहीं दी गई । प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने उक्त एकतरफा निर्णय एंव डिक्री को निरस्त करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही खाजिर कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से पेश किया था और विलम्ब के कोई समुचित कारण भी नहीं बताये। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 04.10.2017 को उभय पक्ष की बहस सुनी गई थी तथा वास्ते आदेश दिनांक 01.11.2017 की तारीख पेशी दी गई किन्तु आदेश नहीं सुनाया गया और पत्रावली पुनः बहस में लम्बित थी जिसे लोक अदालत में रखा गया और लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया । लोक अदालत में केवल रेस्पोडेन्ट कम 3 रामनारायण की उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं इसके अलावा अन्य कोई पक्षकार लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा भी नहीं हुआ है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार सीपीसी की पालना करते हुए निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा